न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 67 / 2024

अनवान : –

1. रविन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. वेदप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. रोहीताश पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील तहसील नोहर।
4. कविता पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः- 11/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 137 / 134 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1. 6450 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 4 का पिता है मुताबिक पारिवारीक समझोता उपरोक्त भूमि में जो भी अपना हक व हिस्सा है अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है व प्रतिवादी संख्या 4 जो कि वादी कि बहिन है व प्रतिवादी सं. 1 कि पुत्री है वह उपरोक्त भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है व अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने भाई के पक्ष मे परित्याग कर चुकी है इसी प्रकार बाद हकत्याग मुताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 137 / 134 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6450 है0 भूमि में से 0.4554 है. भूमि पर वादी को 1712 / 8225 हिस्सा की वजाय 0.663 है. भूमि पर प्रतिवादी सं. 2 काबिज है तथा 1991 / 8225 हिस्सा की वजाय 0.6204 है. भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:07 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को [illegible] कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में द[illegible] दिन तक आजक[illegible]कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश [illegible]या गया है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा 12 केएनएन खाता संख्या 137, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है उक्त वाद भूमि के संबंध में पारिवारिक बाहमी राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा रोही मोजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 137/134 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6450 है0 भूमि में से 0.4554 है. भूमि पर वादी को 1712/8225 हिस्सा की वजाय 0.663 है. भूमि पर प्रतिवादी सं. 2 काबिज है तथा 1991/8225 हिस्सा की वजाय 0.6204 है. भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 1 व ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 137/134 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6450 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से [illegible] पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी [illegible] 1 व 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 137/134 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6450 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1712/8225 हिस्सा कि वजाय 0.063 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 1991/8225 हिस्सा भूमि कि वजाय 0.6204 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1991/8225 हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 0.4554 है. भूमि का वादी को खातदेार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 67/2024
अनवान : –

1. रविन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. वेदप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. रोहीताश पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील तहसील नोहर।
4. कविता पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 67 सन 2024 निर्णय दिनांक – 11/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 137/134 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.6450 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1712/8225 हिस्सा कि वजाय 0.063 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 1991/8225 हिस्सा भूमि कि वजाय 0.6204 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1991/8225 हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 0.4554 है. भूमि का वादी को खातदेार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:07 IST
Reason: SelfAttested